

डिक्री वमुकदमें ईब्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 560/2024

साबर अली पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.) - वादी

बनाम्

1. सावन माही पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. महगा पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
4. तहसीलदार(राजस्व) हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर
वेरड एडवोकेट व मिन जानिव मुदायला प्रति सं. 1, 2 श्री गगन मिढा एडवोकेट एवं राज
मिस्किनर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी
डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से तहसील संगरिया के
चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 116/63 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.923 है. कृषि
भूमि में से 0.615 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं.
1 का नाम कलमजन किया जावे तथा वादी के नाम से तहसील हनुमानगढ़ के चक 1
के.के.डब्ल्यू. के खाता सं. 193/29 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में 0.304 है. कृषि भूमि
का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किया
जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता/रकमराज निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1. वादी साबर अली पुत्र मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी किकरवाली
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का
विवरण :- चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 116/63 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75
प.नं. मु.नं. कि.नं.
136/198 43 7,14/0.253 है.प्र..
17/0.094 है.(किला की पश्चिमी एवं उत्तरी दिशा में)
24/0.015 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
कुल 0.615 है. कृषि भूमि
2. प्रतिवादी सं. 1 सावन माही पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी
किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की कृषि
भूमि का विवरण :-
चक 1 के.के.डब्ल्यू. खाता सं. 193/29 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78
प.नं. मु.नं. कि.नं.
140/205 41 1/3/0.051 है. 10/0.253 है.कुल 0.304 है. कृषि भूमि



महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया



3. प्रतिवादी सं. 2 महगा पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 8 एम.एम.के. खाता सं. 116/63 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

136/198 43 17/0.159 है.(किला की पूर्वी एवं दक्षिणी दिशा में) 24/0.

149 है.(किला की पूर्वी दिशा में) कुल 0.308 है. कृषि

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत्..........निल.

खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक..........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.1.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महायुक्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया